

16.03.2026:-पत्रवाली आज प्राथी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी वकील का मूल वादपत्र विद्वा खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र विद्वा मे खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

  
सहायक न्यायाधीश  
एवं उपन्यायाधीश  
दिल्ली